पश्चिम बंगाल-4, महाराष्ट्र-9, बिहार-8, कर्नाटक-10, तमिलनाडु-5, राजस्थान-4, उड़ीसा-6 तथा पंजाब-5, संघ शासित प्रदेश-कोई नहीं।

(ख) और (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा प्राप्त संगत कौशलों के अनुरूप मजदूरी रोजगार या स्व-रोजगार स्वयं प्राप्त करने होते हैं। योजना के अंतर्गत, सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्ध/बाध्य नहीं है, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात का लक्ष्य

2103 **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या **वाणिज्य** मंत्री 4 दिसंबर, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 114 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995—96 के दौरान किन-किन मदों के आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां,तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) 1995-96 के दौरान अप्रैल-सितंबर, 95 की अवधि जिसमें व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान जिन मुख्य मदों के आयातों में वृद्धि हुई, उनमें खाद्य तेल, उर्वरक, अलौह धातुएं, मशीनरी, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान पत्थर, अखबारी कागज, सिन्थेटिक और पुनः तैयार किए गए रेशे, इलेक्ट्रानिक सामान, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, पेपर बोर्ड और उनके उत्पाद, परियोजना माल, व्यावसायिक उपकरण तथा धातु के उत्पाद शामिल हैं; इसी अवधि के दौरान जिन मुख्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई उनमें चाय और काफी सहित कृषि एवं सम्बद्ध उत्पाद अयस्क एवं खनिज, हस्तशिल्प सहित वस्त्र इलेक्ट्रानिक्स, रसायन और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरी वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, खेलकूद का सामान तथा चमड़ा और उसके उत्पाद हैं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1991-92 की कीमतों और विनिमय दरों पर मात्रा के रूप में 13.62 प्रति वर्ष की निर्यात वृद्धि की कल्पना की गई है। पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) के अंत में कुल निर्यात 33.35 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। व्यापार, उद्योग तथा अन्य सम्बद्ध संस्थानों के साथ परामर्श करके निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। सरकार नीति एवं क्रियाविधियों के वातावरण को निर्यात के लिए और ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात-आयात नीति एवं क्रियाविधियों का सरलीकरण निर्यात उत्पादन में वृद्धि, कार्यक्षमता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता सुधार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल अवस्थापना में सुधार तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने का उल्लेख किया जा सकता है। चालू वर्ष में एक वार्षिक कार्य-योजना तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन के लिए वस्तु-विशिष्ट और देश-विशिष्ट उपाय आते हैं।

Decline in per-capita income of Super Bazar

2104. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the per-capita income in the Super Bazar Sector has registered a sharp decline during the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) the measures proposed to be taken to increase the per-capita income during the Eighth Plan period; and

(d) the amount earmarked for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) Super Bazar has reported that per capita sale, gross profit

and expenditure have shown steady increase over the past three years.

(b) Does not arise.

(c) Super Bazar has reported that efforts are being made to increase turnover. No fresh recruitment of employees is being made. These measures are being taken to increase per capita sale and net profit.

(d) No specific amount has been earmarked for this purpose by Super Bazar.

Deposit by RPFC, Delhi

2105. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is true that the organisations under the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi have to deposit huge amount with the authorities in respect of both the contributions;

(b) if so, what are the details of outstanding, amounts office-wise, under RPFC Delhi;

(c) whether it has also come to the notice of the Ministry that with the connivance of the officials of the office of the Provident Fund Commissioners, the organisations are violating the norms and rules of the PF Act; and

(d) if so, what action has been taken against such erring officials?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Beedi Industry in Uttar Pradesh

2106. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that laws pertaining to beedi industry are not being enforced strictly in Uttar Pradesh which is under President's Rule;

(b) if so, the steps taken to ensure enforcement of the laws in that industry; and

(c) the step taken to weed out corrupt officers entrusted with the responsibility of enforcing these laws?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No such report has come to the notice of the Government.

(b) and (c) Does not arise.

सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मंद कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें

2107. **श्री मोहम्मद मसूद खान:**
श्री रामदेव भंडारी:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी होने के बारे में सांसदों को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर विशेष "सेल" स्थापित करेगी,

(घ) सरकार इस योजना को तीव्र गति से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ङ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी गति के संबंध में कुछ सांसदों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हां,

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले का जिला कलेक्टर समन्वय तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जिम्मेदार है। जिला कलेक्टर स्वयं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कार्यान्वयन एजेंसियों तथा